

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सं. 4/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 130(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त (सं0 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की धारा 111 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 62/2008-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 दिसम्बर, 2008 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 885(अ), तारीख 24 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जिन्हें ऐसे विखंडन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।

[फा. सं. 334/04/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATIONNew Delhi, the 2nd February, 2018**No. 4/2018-Central Excise**

G.S.R. 130(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-section (3) of section 111 of the Finance (No. 2) Act, 1998 (21 of 1998), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 62/2008 –Central Excise, dated the 24th December, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 885(E), dated the 24th December, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 334/04/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सं. 5/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 131(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की धारा 133 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 21/2009-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 7 जुलाई, 2009 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 479(अ), तारीख 7 जुलाई, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जिन्हें ऐसे विखंडन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।

[फा. सं. 334/04/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATIONNew Delhi, the 2nd February, 2018**No. 5/2018-Central Excise**

G.S.R. 131(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-section (3) of section 133 of the Finance Act, 1999 (27 of 1999), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the

Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2009 –Central Excise, dated the 7th July, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 479(E), dated the 7th July, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 334/04/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सं. 6/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 132(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की धारा 111 की उपधारा (3), वित्त अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की धारा 133 की उपधारा (3) और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 29/2002-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 मई, 2002, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 362(अ), तारीख 13 मई, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जिन्हें ऐसे विखंडन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।

[फा. सं. 334/04/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

No. 6/2018-Central Excise

G.S.R. 132(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-section (3) of section 111 of the Finance Act, 1998 (21 of 1998), sub-section (3) of section 133 of the Finance Act, 1999 (27 of 1999) and sub-section (3) of section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 29/2002 –Central Excise, dated the 13th May, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 362(E), dated the 13th May, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 334/04/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सं. 7/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 133(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त (सं0 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त वित्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मालों पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[फा. सं. 334/04/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव